2623/201-16

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मेरठ।

वाद संख्या 12 / 97 / 2008
एम0जे0चैरिटेबिल ट्रस्ट
द्वारा आदेश जैन

धारा 143 जैड0ए0एण्ड एल0आर0एक्ट
बनाम सरकार

ग्राम घाट परगना तहसील व जिला मेरठ।

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री आदेश जैन पुत्र स्व0 श्री आर0के0 जैन निवासी 498 (पदम) कमला नगर, मेरठ शहर बहैसियत सैटलर एम0जे0 चैरिटेबिल ट्रस्ट रजिस्टर्ड कार्यालय 28, बागपत रोड मेरठ की ओर से धारा 143 यू0पी0जैड0ए0 एण्ड एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि भूमि खाता संख्या 00020 के खसरा नम्बर 925 रकबा 0.3470 है0, खसरा नम्बर 863 रकबा 0.2340 है0 व खसरा नम्बर 871 रकबा 2.5120 है0, कुल नम्बरान 3 कुल रकबा 3.0930 है0 स्थित ग्राम घाट परगना तहसील व जिला मेरठ पर प्रार्थी एम0जे0 चैरिटेबिल ट्रस्ट रजि0 आफिस 28 बागपत रोड मेरठ द्वारा सैटलर आदेश जैन पुत्र आर0के0 जैन निवासी 498 (पदम) कमला नगर मेरठ का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। उक्त भूमि पर इन्टरनेशनल इन्स्टीटयूट ऑफ टैक्नोलॉजी ग्राम घाट बाईपास रोड मेरठ शहर में इन्जिनियरिंग कॉलिज बनाना चाहता है। प्रार्थी ने उपरोक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 925 रकबा 0.3470 है0, खसरा नम्बर 863 रकबा 0.2340 है0 व खसरा नम्बर 871मि0 रकबा 2.5120 है0 में से 1.9627 है0 भूमि को धारा 143 यू0पी0जैड0ए0 एण्ड एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत अकृषक घोषित करने का अनुरोध किया है।

प्रार्थी की ओर से ग्राम घाट परगना तहसील व जिला मेरठ की खतौनी वर्ष 1415 ता 1420 फसली, शपथ–पत्र श्री आदेश जैन व एक किता स्थलीय फोटोग्राफ दाखिल किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर तहसील मेरठ से आख्या प्राप्त की गई, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 व नियम 135 के अन्तर्गत तहसील आख्या दिनांक 13.06.2008 में अवगत कराया गया है कि ग्राम घाट परगना तहसील व जिला के राजस्व अभिलेखों में खसरा नम्बर 925 रकबा 0.3470 है0, खसरा नम्बर 863 रकबा 0.2340 है0 व खसरा नम्बर 871 रकबा 2.5120 है0, कुल नम्बरान 3 कुल रकबा 3.0930 है0, लगानी 149.80 रुपये पर प्रार्थी एम0जे0 चैरिटेबिल ट्रस्ट रजि0 आफिस 28 बागपत रोड मेरठ द्वारा सैटलर आदेश जैन पुत्र आर0के0 जैन निवासी 498 (पदम) कमला नगर मेरठ का नाम पंजीकृत दान पत्र के रूप में अंकित है। खसरा नम्बर 925 रकबा 0.3470 है0, खसरा नम्बर 863 रकबा 0.2340 है0 व खसरा नम्बर 871 रकबा 2.5120 है0 में से 1.9627 है0, इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 2.5437 है0 में स्थल पर खेती नहीं हो रही है, बल्कि बिल्डिंग निर्माण कार्य चल रहा है। स्थल पर प्रश्नगत भूमि कृषि, बागवानी या पशुपालन (जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन की कुक्कुट पालन से सम्बन्धित प्रयोजन के प्रयोग में नहीं आ रही है। तहसील आख्या में खसरा नम्बर 925 रकबा 0.3470 है0, खसरा नम्बर 863 रकबा 0.2340 है0 व खसरा नम्बर 871 रकबा 2.5120 है0 में से 1:9627 है0 इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 2.5437 है0, स्थित ग्राम घाट परगना तहसील व जिला मेरठ को उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत अकृषक घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

मैंने वादी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम घाट परगना तहसील व जिला मेरठ की खतौनी वर्ष 1415 ता 1420 फसली के भूमि खाता संख्या 00020 के कॉलम 7 ता 12 पर अंकित तहसीलदार मेरठ के वाद संख्या 165 द्वारा खसरा नम्बर 863 रकबा 0.2340 है0, वाद संख्या 170 द्वारा खसरा नम्बर 925 रकबा 0.3470 है0 व खसरा नम्बर 871 रकबा 2.5120 है0 आदेश दिनांक 23.01.2008 के अपने समस्त भाग से दानदाता आदेश जैन पुत्र आर0के0 जैन निवासी (पदम) कमला नगर मेरठ, शुभेन्द्र मित्तल पुत्र पी0डी0 मित्तल निवासी 28 बागपत रोड मेरठ का नाम निरस्त करके दानग्रहिता एम0जे0 चैरिटेबिल ट्रस्ट रजि0 आफिसर 28 बागपत रोड मेरठ द्वारा सेलटर आदेश जैन पुत्र आर0के0 जैन निवासी 498 (पदम) कमला नगर मेरठ का नाम बजरिये पंजीकृत दानपत्र के आधार पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर तहसीलदार मेरठ की आख्या दिनांक 13.06.2008 स्वीकार किये जाने योग्य है।

:: **आदेश** ::

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम घाट परगना तहसील व जिला मेरठ स्थित भूमि खाता संख्या 00020 के खसरा नम्बर 925 रकबा 0.3470 है0, खसरा नम्बर 863 रकबा 0.2340 है0 व खसरा नम्बर 871 रकबा 2.5120 है0 में से 1.9627 है0 इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 2.5437 है0 को अकृषक घोषित किया जाता है तथा परता लगान माफ किया जाता है। तहसील आख्या दिनांक 13.06.2008 एवं नक्शा–नियम 135 आदेश का अंग रहेंगे। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय–समय पर शासकीय संस्थाओं यथा मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद अथवा अन्य के द्वारा यदि कोई शर्ते/प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर लगाए जाते हैं, तो वह इस पर पूर्णतः लागू होंगे। आदेश की प्रति उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मेरठ एवं उपनिबंधक मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए, तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:– 12–01–2009

(प्रवीण मिश्र)
उप जिलाधिकारी, मेरठ।

आज यह निर्णय/आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घघोषित किया गया।

दिनांक:– 12–01–2009

(प्रवीण मिश्र)
उप जिलाधिकारी, मेरठ।

C-176
19/1/09

प्रतिलिपि हेतु दिये गये स्टाम्प शुल्क 12.50
प्रार्थना पत्र का दिनांक 20-1-16